20/6/24	पत्रावली पेश हुई. वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी को उपस्थिति एवं का.गु. साक्ष्य पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये गये. अंतिम अवसर भी दिये जा चुके हैं। बार-बार आवाजें लगाई गई उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम हाजिरी/अदम पैरवी में खारिज की जाती है. फैसला सुनाया रेकार्ड रूम में जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर